



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042023-244895
CG-DL-E-03042023-244895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204]

No. 204]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 2023/चैत्र 13, 1945

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 2023/CHAITRA 13, 1945

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2023

सा.का.नि. 264(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे साधारण नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे साधारण (संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे साधारण नियम, 2018 के, नियम 156 में, उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) गैर-अंतर्पाशित सम्मुख कांटों पर गाड़ियों की गति किसी भी परिस्थिति में तीस किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक नहीं होगी और टर्नआउट और क्रॉसओवर पर अनुज्ञेय गति या तीस किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक नहीं होगी, जो भी कम हो, जब तक कि अन्यथा इन्हें अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित न किया गया हो, जो उच्च गति की अनुमति दें।"

[फा. सं. 2022/सेफ्टी (ए एंड आर)/19/27]

जया वर्मा सिन्हा, सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास) और पदेन सचिव

टिप्पणः- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 765(अ), तारीख 10 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उन्हें आगे सा.का.नि. 822 (अ), तारीख 6 नवम्बर, 2019 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2023

G.S.R. 264(E) —In exercise of the powers conferred by section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Dedicated Freight Corridor Railway General Rules, 2018, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Dedicated Freight Corridor Railway General (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Dedicated Freight Corridor Railway General Rules, 2018, in rule 156, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The speed of trains over non-interlocked facing points shall not exceed thirty kilometers an hour in any circumstances and the speed over turn-outs and crossovers shall not exceed its permissible speed or thirty kilometers an hour whichever is less, unless otherwise prescribed by approved special instructions, which may permit a higher speed.”

[F. No. 2022/Safety(A&R)/19/27]

JAYA VARMA SINHA, Member (O & BD) and Ex-Officio Secy.

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, Sub-section (1) vide notification No. G.S.R. 765(E) dated 10th August, 2018 and were further amended vide G.S.R.822(E) dated 6th November, 2019.